



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1707/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
गिराज प्रसाद शर्मा बिजासन नगर] टोल टैक्स] बक्सावाला रोड] टोंक रोड] जयपुर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लो0सू0अ0 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 09-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अनिल वर्मा, कनिष्ठ सहायक उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 17-07-2017 के द्वारा प्रिन्टींग के टेन्डर राजस्थान सुजस वर्ष 2014-15 के क्रम में 20 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी के द्वारा वांछित सूचना निदेशालय की साहित्य/भण्डार शाखा से संबंधित होने के कारण इस शाखा से सूचना प्राप्त की गई, प्राप्त होने पर पत्र दिनांक 28-03-2018 से सभी बिन्दुओं की जानकारी निःशुल्क भिजवा दी गई है। सूचना दिया जाना शेष नहीं है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 06-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 28-03-2018 की प्रति संलग्न की है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। लेकिन सूचना विलम्ब से दी गई है। प्रत्यर्थी को सावचेत किया जाता है कि भविष्य में सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों में निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराई जावे।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त